न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 373 सन 2022

अनवान :–

1. राजबाला पत्नी निर्देश कुमार जाति जाट निवासी वार्ड संख्या 3 बावडी छोटी तहसील तारानगर जिला चूरू ।
2. सरोज देवी पत्नी शिशराम जाति जाट साकिन वार्ड संख्या 3 बावडी छोटी (पीरवास) तहसील तारानगर जिला चरू

वादीगण

बनाम

1. कालुराम पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
2. शिशपाल पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 18/11/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 73/73 की कुल 14.9350हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व मे वादी के पूर्वज मुखराम वल्द जीसुखराम के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी वादी के पूर्वज मुखराम वल्द जीसुखराम के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके विरासतन से उनके पुत्र शिशपाल एव उसके पुत्र कालुराम के नाम से दर्ज हुइ है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण का भाई एव प्रतिवादी संख्या 2 शिशपाल का पुत्र है वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया जाकर वादीगण जो प्रतिवादी संख्या 1 की बहने के भरण पोषण के लिये वाद भूमि में से भूमि दी गई थी जो वादीगण के कब्जा काश्त मे है जिसकी आय से वादीगण अपने एव अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है।

वाद भूमि मे वादीगण को भरण पोषण के लिये दी गई भूमि वादीगण के नाम से दर्ज नही है जिससे वादीगण के हको का हनन होता है वादीगण अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनो तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त मे इन्कार ही गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अत वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण का भाई है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 2 ने निवेदन किया की वाद भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 2 के पूर्वजो के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरासतन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के नाम से दर्ज हो गई वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 2 ने वाद भूमि का परिवारिक समझौता किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वाद भूमि में से वादीगण के भरण पोषण के लिये प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा में से भूमि दी गई थी जो वादीगण के कब्जा काश्त में है प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादीगण को भरण पोषण के लिये दी गई भूमि वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती हे तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 73/73 की कुल 14.9350हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज मुखराम वल्द जीसुखराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पूर्वज मुखराम वल्द जीसुखराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके विरास्तन से उनके पुत्र शिशपाल एव उसके पुत्र कालुराम के नाम से दर्ज हुइ है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण का भाई एवं प्रतिवादी संख्या 2 शिशपाल का पुत्र है वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया जाकर वादीगण जो प्रतिवादी संख्या 1 की बहने के भरण पोषण के लिये वाद भूमि में से भूमि दी गई थी जो वादीगण के कब्जा काश्त में है जिसकी आय से वादीगण अपने एव अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है।

वाद भूमि में वादीगण को भरण पोषण के लिये दी गई भूमि वादीगण के नाम से दर्ज नही है जिससे वादीगण के हकों का हनन होता है वादीगण अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 73/73 की कुल 14.9350हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वादीगण का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उसके भाई प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो उनके पूर्वजों के देहान्त होने के बाद विरास्तन से दर्ज हुई है प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण का भाई है ने अपने नाम दर्ज भूमि में से वादीगण के भरण पोषण की लिये दी गई थी जो वादीगण के कब्जा काश्त में है जिसे अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादीगण के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद भूमि में से भूमि अपनी बहनों वादीगण को भरण पोषण के लिये दी गई थी अर्थात अपने हकों को त्याग वादीगण के पक्ष में किया गया था जिसे वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही हे व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

उप खण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काविल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं पैरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 73/73 की कुल 14.9350हैक्ट मे से खसरा संख्या 155/3 की 1.1380हैक्ट , खसरा संख्या 164 की 2.9210हैक्ट भूमि के वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष खसरासंख्या 90 की कुल 10.876हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. राजबाला पत्नी निर्देश कुमार जाति जाट निवासी वार्ड संख्या 3 डावडी छोटी तहसील तारानगर जिला चुरू ।
2. सरोज देवी पत्नी शिशराम जाति जाट साकिन वार्ड संख्या 3 डावडी छोटी (धीरवास) तहसील तारानगर जिला चरू

वादीगण

बनाम

1. कालुराम पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
2. शिशपाल पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 373 सन 2022 निर्णय दिनांक– 18/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 73/73 की कुल 14.9350हैक मे से खसरा संख्या 155/3 की 1.1380हैक , खसरा संख्या 164 की 2.9210हैक भूमि के वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष खसरासंख्या 90 की कुल 10.876हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner